कुल पृष्ठ संख्या–32 (कवर पेज सहित)

क्रम संख्या....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

(In Words) ----

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में

शब्दों में ----

नोट :– परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम – हिन्दी ✓ अंग्रेजी

विषय .... गृह विज्ञान

परीक्षा का दिन............

दिनांक ....

नोट :– परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :– (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जावेगा।
(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।
(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Roundoff)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर .... संकेतांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तक के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है। 158/2016

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक के अनुशषा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
   (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
   (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये।
   (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
   (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबल के आस–पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
   (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

Scr.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(1) नवजात शिशु :- जन्म से 30 दिन की अवधि के शिशु को नवजात शिशु कहते है तथा इस अवस्था को नवजात अवस्था कहते है। इसमें शिशु पूर्णरूप से अपनी माँ या देखभाल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है।

(2) शिशु के बाह्य अंगो के विकास को निम्न प्रकार माप सकते है :-
(i) वजन में वृद्धि से
(ii) लम्बाई में वृद्धि से
(iii) दांतो का विकास
(iv) अस्थियों का विकास
(v) शारीरिक अनुपात

(3) आनुवांशिकता :- आनुवांशिकता से तात्पर्य है बालक द्वारा जन्म से ही अपने माता-पिता से विभिन्न गुण प्राप्त करना या उनके समान ही रंग, कद-काठी, व्यवहार तथा व्यक्तित्व वाला बनना।
जैसे :- लम्बे कद वाले माता-पिता का एक बालक लम्बा हो सकता है तथा माता-पिता की तरह मोटा भी हो सकता है।

(4) प्रतिजन या एण्टीजन :- प्रतिजन या एण्टीजन वे पदार्थ है जिन्हें कोषो में प्रवेश कराने पर वह उसमें विशेष प्रकार के प्रतिरक्षियो के निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

है जिससे रोगो से लड़ने की शक्ति प्राप्त है, प्रतिजन कहलाते है। जैसे - टीके लगाना।

(5) छोटी माता रोग वेरिसेला वायरस से होता है।

(6) सामाजिक रूप से अक्षम बालक :- वे बालक जो ऐसे परिवार या स्थितियों में जन्म लेते है जिनके व्यवहार व कृत्य समाज के अनुरूप न हो बल्कि विपरीत हो सामाजिक रूप से असक्षम बालक कहलाते है। जैसे - निम्न वर्ग के लोगो के बच्चे, अलग - अलग जाति के लड़का - लड़की के शादी करने के बाद पैदा हुए बच्चे। ऐसे बालकों में कौशल होने के बाद भी इन्हे समाज मे सम्मान या आदर प्राप्त नही होता।

(7) आहार आयोजन :- परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना आहार आयोजन कहलाता है। दूसरे शब्दो में विभिन्न भोज्य समूहों में से सभी भोज्य पदार्थों का पारिवारिक सदस्यों की पौषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप आहार में सम्मिश्रण आहार आयोजन कहलाता है। इसमें भोजन पकाने से लेकर पकाना,

Scr.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

परोसना व संग्रहण करना तक शामिल है।

(8) संदर्भ इकाई :- संदर्भ इकाई से तात्पर्य भोज्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। इससे कम आय में भी सन्तुलित आहार परिवार को उपलब्ध कराया जा सकता है।

(9) गर्भावस्था में अतिरिक्त लौह लवण एवं फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी कमी से शिशु के अपंग होने की सम्भावना बढ़ जाती है। लौह लवण की अतिरिक्त मात्रा शिशु के समुचित विकास के लिए होती है।

(10) पारिवारिक आय :- पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई काम करने पर आय प्राप्त करना तथा उस आय को व्यय करने पर वस्तुएँ, संतोष एवं सेवाएं प्राप्त हो जिससे पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जा सके। पारिवारिक आय तीन प्रकार की होती है :-

(i) मौद्रिक आय या आर्थिक आय
(ii) वास्तविक या अमौद्रिक आय
(iii) मानसिक आय।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(11) बचत :- आय को व्यय करने के पश्चात बची धनराशि बचत कहलाती है। दूसरे शब्दों आय और व्यय के अन्तर को बचत कहते हैं। बचत का विनियोग करने पर आय वृद्धि होती है।

(12) वस्त्रों का प्राथमिक कार्य :- वस्त्रों का प्राथमिक कार्य शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा व आराम प्रदान करना है। सर्दी में ऊनी व फर के वस्त्र, गर्मी में सूती वस्त्र तथा वर्षा में कृत्रिम वस्त्र अलग-अलग मौसम में शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्र शरीर के अनुरूप पहनने पर वे आराम भी प्रदान करते हैं।

(13) वस्त्रों का चयन निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है :-
(i) व्यक्तित्व, (ii) उम्र (iii) जलवायु
(iv) अवसर (v) व्यवसाय (vi) लिंग
(vii) आय, (viii) फैशन।

(14) संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ :-
(i) संदर्भ इकाई की सहायता से एक कम पढ़ी-लिखी गृहिणी भी सन्तुलित आहार का आयोजन कर सकती है।
(ii) संदर्भ इकाई की सहायता से गृहिणी कम

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

आय में भी सुरक्षित व सन्तुलित आहार का आयोजन कर सकती है।
(iii) इससे समय, शक्ति व धन की बचत होती है।
(iv) इससे पारिवारिक सदस्यों को रुचि के अनुरूप आहार प्राप्त होता है।
(v) इससे गृहिणी परिवार के सदस्यों को पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप आहार उपलब्ध करा सकती है।

(15) एक वयस्क हेतु आहार आयोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :-
(i) उच्च आय वर्ग :-
इन्हें अपने भोजन में पूर्ण प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।
इन्हें तले भुने भोज्य पदार्थों का कम सेवन करना चाहिए।
इन्हें मंहगे भोज्य पदार्थ जो किसी भी मौसम में प्राप्त हो जाये उन भोज्य पदार्थों व फलो का प्रयोग करना चाहिए।
इन्हें उच्च गुणवत्ता वाला अनाज खरीदा चाहिए तथा सेवन करना चाहिए।
(ii) मध्यम आय वर्ग :-
इन्हें अनाज को थोक में खरीदना चाहिए।
इन्हें मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए।
इन्हें आय के अनुरूप प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों तथा अनाजों का सेवन करता चाहिए।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

इन्हे घी, तेल आदि का प्राप्त सेवन करना चाहिए।

(iii) निम्न आय वर्ग :-

इसमें वयस्क को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दुकान से सामान खरीदना चाहिए जहाँ कम धन खर्च होता है।

इसमे वयस्क को मौसमी फलों व सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

इन्हे मिश्रित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

प्रोटीन की पूर्ति सस्ते पदार्थों छाछ आदि से करनी चाहिए।

भोजन में कम गुणवत्ता वाला तेल, घी भी ये आय के अनुरूप खरीद सकते है।

(11) गर्भावस्था की दो पौषणिक समस्याएँ निम्न प्रकार से है :-

(i) प्रातः कालीन के या वमन :- गर्भावस्था के 2-3 महिने के दौरान गर्भवती महिला द्वारा भ्रूण से सामंजस्य न बैठ पाने व हार्मोनो में परिवर्तन के कारण गर्भवती को सुबह - सुबह चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। अतः गर्भवती महिला को सुबह - सुबह तरल भोज्य पदार्थ चाय, कॉफी, जूस आदि न देकर ठोस भोज्य पदार्थ मठरी, टोस्ट

Scr

विधाक, द्वारा दत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

आदि खाने को दे।

(ii) पैरों में बांयटे आना : गर्भावस्था में कैल्सियम की मांग बढ़ जाती है परन्तु गर्भवती द्वारा कैल्सियम युक्त भोज्य पदार्थों का कम सेवन करने से पैरों में बांयटे आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः गर्भवती को हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, दही, पनीर आदि का खूब सेवन करना चाहिए तथा कैल्सियम की गोलियों का चिकित्सक के परामर्श पर सेवन करना चाहिए।

(17) दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति करने में बचत का महत्व निम्न प्रकार से है :
मनुष्य के दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं लघु कालीन व दीर्घकालीन।
दीर्घकालीन लक्ष्य जैसे - विवाह, घर निर्माण, शिक्षा आदि इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने बचत का विनियोग बैंक, डाकघर, जीवन बीमा, यूनिट ट्रस्ट आदि में करता है जिसकी अवधि निश्चित होती है। अवधि के पूरा हो जाने पर व्यक्ति को जमा राशि के अलावा भी ब्याज की अलग-अलग दर पर पैसा प्राप्त होता है तथा इससे आय में वृद्धि हो जाती है जिससे व्यक्तिदीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
अतः दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति में बचत का महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(18) 'जीवन बीमा' योजना भविष्य के उद्देश्यो को पूरा करने में निम्न प्रकार सहयोगी है :- जीवन बीमा सुरक्षा को ध्यान में रखकर व परिवार के आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए कराया जाता है। इसमें व्यक्ति जीवन भर जीवन बीमे की किस्त चुकाता रहता है तथा उसकी मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा में जमा राशि बिमित को ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है। लोग अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व सम्पति के लिए जीवन बीमा के किसी भी प्रकार में धन जमा करा सकता है जैसे - जीवन सुरभि, जीवन आनन्द आदि। यदि व्यक्ति ने शिक्षा के लिए बीमा करवाया है तथा निश्चित अवधि के लिए करवाया है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात बच्चा बड़ा हो जाने पर बीमा कम्पनी उसकी शिक्षा पर खर्च करती है। इसी प्रकार अन्य उद्देश्य जैसे भवन निर्माण, गाड़ी आदि का भी बीमा करवाया जा सकता है। इस प्रकार भविष्य के उद्देश्यो को पूरा करने में जीवन बीमा सहयोगी है।

(19) उपभोक्ता की समस्याएँ निम्नलिखित है :-

(i) विभिन्न एवं निर्धारित से अधिक मूल्य :- उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो एक

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

ही वस्तु का मूल्य अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग होने पर उसे निर्धारित करने में कि कौनसी वस्तु की कीमत कितनी है उसका अन्दाजा नही लगा पाता जिससे वह विक्रेता को अधिक धन दे देता है।

(ii) वस्तु के चुनाव की समस्या :- बाजार में एक ही वस्तु अलग-अलग किस्मों की होने के कारण उपभोक्ता सही वस्तु का चुनाव नही कर पाता।

(iii) मिलावट की समस्या :- विक्रेता अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते है जिससे उपभोक्ता को आर्थिक हानि के साथ-साथ स्वास्थ्य पर नुकसान भी झेलना पड़ता है।

(iv) निम्न श्रेणी का सामान :- विक्रेता द्वारा उच्च श्रेणी की वस्तु में मिलावट करके उसे निम्न श्रेणी का बना दिया जाता है जिससे उपभोक्ता ठगा जाता है क्योंकि उसे परीक्षण करना नही आता है।

(v) कम माप-तौल :- विक्रेता अपनी हाथ की सफाई से वस्तु का वजन कम मापता है जिससे उपभोक्ता को धन के अनुरूप वस्तु प्राप्त नही होती।

(vi) नकली माल :- उत्पादक कई बार अन्य प्रसिद्ध वस्तु का डुप्लीकेट माल बाजार में उतारते है जिससे उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता व शुद्धता का पता नही चल पाता

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

जिससे उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है।

(vii) अज्ञानी उपभोक्ता :- उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी न होने पर भी उपभोक्ता व्यापारी द्वारा ठगा जाता है चाहे उपभोक्ता पढ़ा-लिखा ही क्यों न हो।

(viii) भ्रामक विज्ञापन :- उत्पादक अपनी वस्तुओं का विज्ञापनों द्वारा प्रचार-प्रसार करते हैं जिससे उपभोक्ता गुणवत्ता का ध्यान न रखकर वस्तुएँ खरीद लेते हैं।

(ix) व्यापारी का दबाव :- विक्रेता कई बार उपभोक्ता को किसी एक ब्रांड की वस्तु खरीदने के लिए दबाव बनाता है जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, इससे भी उपभोक्ता ठगा जाता है।

(x) अनावश्यक क्रय :- अनावश्यक क्रय करने पर भी उपभोक्ता बाजार से ठगा जाता है।

(20) "विज्ञापन उपभोक्ताओं को जानकारी देने का सशक्त माध्यम है।" इसके निम्न कारण हैं-

(i) विज्ञापन से उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता का पता चलता है।

(ii) विज्ञापन से वस्तु के मूल्य की जानकारी प्राप्त होती है।

(iii) विज्ञापन द्वारा यदि किसी वस्तु में छूट दी जा रही है तो उसका पता चलता है।

(iv) विज्ञापन से कम खर्च में अच्छी वस्तु प्राप्त होने के आसार रहते हैं।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(v) विज्ञापन से उपभोक्ता को ब्रांड, किस्म, कम्पनी आदि का पता चलता है।

(vi) इससे उपभोक्ता को सन्तुष्टि भी प्राप्त होती है जब वह सही दाम पर वस्तु प्राप्त करता है।

जैसे - रियमंडरन कम्पनी ने टी.वी. अपने वस्त्र का विज्ञापन दिया जिसमें वस्त्र की गुणवत्ता, मूल्य व उपयोगिता, प्रकार आदि की जानकारी जिससे उपभोक्ता को वस्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।

(21) वस्त्रों की सिलाई करने के आवश्यक चरण निम्न प्रकार से है :-

(i) नाप लेना :- सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र तैयार करना है उसकी शारीरिक नाप उसके कहे अनुसार लेनी चाहिए। नाप लेते समय व्यक्ति सीधा खड़ा होना चाहिए। उसकी सभी नापे क्रम से लेनी चाहिए तथा उन सब को कागज पर सही से लिख लेना चाहिए।

(ii) ड्राफ्टिंग या पैपर पैटर्न तैयार करना :- इसके बाद लिये गये नापों को किसी कागज पर नाप के अनुरूप चिन्ह लगाना चाहिए। चिन्ह लगाने के बाद एक बार पुनः नापों को देखना चाहिए यदि सही नहीं है तो बार-बार पैपर पैटर्न या ड्राफ्टिंग करना चाहिए।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(iii) कपड़ा तैयार करना :- कपड़े सिकुड़े नहीं इसके लिए रात को कपड़े को 7-8 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए तथा बिना निचोड़े सूखा देना चाहिए। सूखने के पश्चात इस्त्री कर देनी चाहिए तथा सही तरह से मोड़कर कपड़ा तैयार कर लेना चाहिए।

(iv) ले-आउट करना व काटना :- कागज पर बनाये गये पेपर पैटर्न को कपड़े पर रखकर सभी निशान लगा लें। निशान सही लेने पर उसकी कटाई की जाती है। कटाई करते समय कैंची सही होनी चाहिए

(v) सिलाई करना :- कटे हुए कपड़े के टुकड़ों को वस्त्र जिस प्रकार का बनाना है उनकी सिलाई मशीन या हाथ से कर देनी चाहिए। इस प्रकार कपड़ा तैयार है।

(22) साबुन एक प्रचलित शोधक पदार्थ है यह ठोस रूप में प्राप्त होती है तथा वस्त्रों को साफ, उजला बनाने में मदद करता है। साबुन दो प्रकार के होते हैं :-

(i) मृदु साबुन :- ये साबुन ठंडी विधि द्वारा कम वसा एवं हल्के क्षार द्वारा बनाये जाते हैं।

(ii) कठोर साबुन :- ये साबुन गर्म विधि द्वारा अधिक वसा एवं तीव्र क्षार द्वारा बनाये जाते हैं।

Scr.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

उत्तम साबुन के गुण निम्न प्रकार से है :-
(i) इसमें रेजीन व स्टार्च का कम प्रयोग किया जाता है।
(ii) इसमें 30-35% क्षार व 70% जल मिलाया जाता है।
(iii) यह सभी प्रकार के वस्त्रों को साफ करने में उत्तम व सक्षम होते है।
(iv) ये गुणवत्ता के अनुरूप महँगे व सस्ते दोनो रूपो में प्राप्त किए जा सकते है।
(v) ये शीघ्र वस्त्र की गन्दगी को हटाकर वस्त्र को साफ कर देते है।
(vi) इनकी स्वच्छक क्षमता अधिक होती है।

(23) डिजरजेन्ट :- यह एक संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण कार्बन व रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है। इससे वस्त्र पर लगी गन्दगी जल्दी हटती है। यह द्रव व कणों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तम डिजरजेन्ट के गुण निम्न प्रकार से है:
(i) यह वस्त्र पर लगी गन्दगी को शीघ्र व सरल तरीके से हटा देता है।
(ii) इसमें शारीरिक श्रम की कम आवश्यकता होती है।
(iii) इसमें हाथों को नुकसान नही पहुँचता व समय भी कम खर्च होता है।
(iv) इसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

होती है।
(v) इसमें कम धन की आवश्यकता होती है।
(vi) यह मृदु व कठोर जल दोनों में समान रूप से क्रियाशील होता है।
(vii) इसमें क्षार व वसा अनुपस्थित होती है।
(viii) ये उच्च गुणवत्ता का होता है तथा इससे रंग निकलने से या वस्त्र के रेशों को नुकसान नहीं होता।

(२५) गृह विज्ञान के विभागों में स्वरोजगार :

विभाग	स्वरोजगार
(i) खाद्य एवं पोषण	अचार, जैम, जैली, सरबत, पापड़ तथा परीक्षण शाला खोलना, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना आदि।
(ii) मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	पालनागृह, आंगनबाड़ी, बच्चों की देखभाल, खिलौने बनाना आदि।
(iii) पारिवारिक संसाधन प्रबन्धन	समय का उचित उपयोग लघु उद्योग, पुष्प सज्जा, डिजाइनिंग आदि।
(iv) वस्त्र एवं परिधान	कटाई, सिलाई, बुनाई, रेशा बनाना आदि।
(v) गृह विज्ञान प्रसार - प्रचार शिक्षा	विज्ञापन जागरूकता कैंप, रैलियां आदि।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में योगदान :-
(i) खाद्य एवं पोषण :- इसके द्वारा गृहिणी पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध करा सकते है। भोजन का संरक्षण कर धन की बचत कर सकती है। अनेक प्रकार के उद्योग व जागरूकता आदि अन्य लोगों को प्रदान कर सकती है।
(ii) मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन :- परिवार की बूढे से लेकर बच्चों तक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकती है तथा परिवार का पोषण व विकास कर सकती है।
(iii) पारिवारिक संसाधन प्रबन्धन :- कम आय होने पर भी उनका सही वितरण कर सभी को सन्तुष्टि प्रदान कर सकती है।
(iv) वस्त्र एवं परिधान :- परिवार के सदस्यों के वस्त्र सिलकर धन खर्च में कमी ला सकती है तथा फैशन के अनुरूप वस्त्र उपलब्ध करा सकती है।
(v) गृह विज्ञान प्रसार व प्रचार शिक्षा :- अन्य लोगों को भी अपने सीखे ज्ञान को बांट सकती है जिससे उनका भी विकास हो सके।

(30) वस्त्रों के संरक्षण का महत्व निम्न प्रकार से है-
(i) इससे सही समय पर वस्त्र उपलब्ध रहते है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(ii) इससे वस्त्रों को दीर्घायु व आकर्षण, चमक प्राप्त होती है।
(iii) इससे वस्त्र लम्बे समय तक उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहते हैं।
(iv) इससे धन, समय, श्रम की बचत होती है।
(v) इससे उनका मूल्य बढ़ जाता है।
(vi) इससे आवश्यकता के अनुरूप वस्त्र प्राप्त होते हैं। ~~वस्त्र~~ खराब नही होते।
(vii) वस्त्र उजले, चमकदार व आकर्षक नजर आते हैं।
(viii) इससे वस्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है।

संग्रहण के प्रमुख चरण निम्न प्रकार से है :-
(i) स्थान का चयन :- वस्त्रों का संग्रहण करने से पूर्व स्थान का चयन कर लेना चाहिए। यदि वस्त्रों का संग्रहण किसी बॉक्स में करना है तो वह साफ होना चाहिए तथा सूखा होना चाहिए। यदि अलमारी में करना है तो वह दरवाजों व खिड़की से दूर होनी चाहिए वहां नमी नही होनी चाहिए।
(ii) वस्त्रों की छटाई :- वस्त्रों को धोकर सुखाने के बाद वस्त्रों को उपयोगिता के अनुसार अलग-अलग कर लेना चाहिए। जैसे - छोटे वस्त्र या अन्त: वस्त्रों को एक तरफ, बड़े वस्त्रों को एक तरफ तथा प्रेस करने वाले वस्त्र

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

एक तरफ रख देने चाहिए। फिर इन्हे समेट देना चाहिए।

(iii) यथास्थान रखना :- अब वस्त्रों को अलमारी के विभिन्न खंडो में या संदूक में सुव्यवस्थित करे। छोटे वस्त्रों को अलमारी के छोटे खंडो में व बड़े वस्त्रों को अलमारी के बड़े खंडो में रखे। टाई आदि को हैंगर पर डाल देना चाहिए। वस्त्रों को तह करके एक के ऊपर एक रखना चाहिए।

(iv) निकालने में सावधानी :- वस्त्र को उपयोग के लिए निकालते वक्त सही तरीके से वस्त्र निकालना चाहिए जिससे अन्य वस्त्र की तह खराब न हो।

(v) सावधानी :- वस्त्र निकालने के बाद अलमारी, बक्से, सिंदुक को बंद कर देना चाहिए।

28) मिलावट :- खाद्य पदार्थों में कोई भी मिलता-जुलता पदार्थ मिलाने या उसमें से कोई तत्व निकालने या कोई हानिकारक तत्व मिलाने जिससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व शुद्धता में कमी आ जाये मिलावट कहलाती है।
जैसे - दूध से क्रीम निकालना व पानी डालना।

मिलावटी भोज्य पदार्थ खाने के दुष्प्रभाव निम्न प्रकार से है :-

(i) केसरी दाल :- यह दाल मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उगाई जाती है। यह

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

कम प्रयासो में भी अधिक उत्पादन देती है तथा सस्ती होती है। इस दाल की मिलावट चने की दाल, मूंग की दाल आदि में कर दी जाती है। इसका सेवन अधिक समय तक करने पर टांगो को लकवा मार जाता है तथा व्यक्ति बिना हिले डुले पड़ा रहता है।

(ii) एस्बेस्टॉस :- इसकी मिलावट आटे, मैदा आदि में कर दी जाती है। सॉफ्ट स्टोन को छानने पर उसके अंश इसमें मिल जाते है। इससे आहार नाल में कैंसर उत्पन्न हो जाता है।

(iii) आरजीमोन का तेल :- यह एक जंगली घास है इसकी मिलावट तेलों में कर दी जाती है जिससे अधिक सेवन करने पर एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। शरीर में सूजन, कैंसर व पाचन संस्थान गड़बड़ा जाता है।

(iv) तैलीय रसायन :- इनकी मिलावट तेलों में कर देने से पाचन सम्बंधी विकार उत्पन्न हो जाते है। यह मेरुदण्ड व मस्तिष्क के पेशीय तंत्र को प्रभावित करता है।

(v) पेराफिन तेल :- इसकी मिलावट वाले तैलीय पदार्थ खाने से विटामिनो का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता जिससे कमजोरी व पाचन

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

सही नही हो पाता।

(vii) कोलतार रंग :- विभिन्न पदार्थो जैसे मिठाईयां, मिर्च, हल्दी, मसाले आदि में कोलतार रंग मिला दिये जाते है। इससे जनन अंग प्रभावित होता है। इससे कैंसर भी उत्पन्न हो जाते है।

(27) आहार आयोजन का महत्व :-

(i) विविधता :- दिन के विभिन्न आहारो में एक ही भोज्य पदार्थ का बार-बार सेवन करने से रूचि उस खाने के लिए कम हो जाती है। अतः दिन-प्रतिदिन के आहार में परिवर्तन करना अनिवार्य है जिससे रूचि बनी रहे।

भोजन में विविधता निम्न प्रकार से लाई जा सकती है :-

भोज्य पदार्थो के आकार-प्रकार में विविधता लाकर।

भोज्य पदार्थो की सुगंध व के गंध मे परिवर्तन लाकर आदि।

(ii) पारिवारिक आय :- पारिवारिक आय से तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं तथा सन्तोष का वह प्रवाह जिससे परिवार की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जा सके।

पारिवारिक आय से किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति सरल तरीके से करके परिवार को सुखी व समृद्धिशाली बनाया जा

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

सकता है।

(iii) महिला का कामकाजी होना :- महिला के कामकाजी होने से आय में वृद्धि होती है तथा जीवन जीने में सरलता प्राप्त होती है। महिला अपने समय की बचत करके उद्योग धंधे लगा सकती है तथा धन कमाकर पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च करके सभी को सन्तुष्ट कर सकती है।

(28) मंद बुद्धि बालक को भी समाज का उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है :
सर्वप्रथम हमें उसे अपने समान एवं साधारण मनुष्य समझना चाहिए। उसमें दया-कृपा की भावना न रखकर सम्पूर्ण स्नेह प्रदान करें। उसकी रुचि को जागरुक व जाग्रत करें। व्यावसायिक रुचि के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाये। शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ाये। चित्रकला व संगीत की शिक्षा दें। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाए। उसके द्वारा बनाई कलाकृतियों को प्रदर्शित करवाये।

(29) अधिनियम के उद्देश्य :-
(i) उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना।

Scr.

परीक्षार्थी उत्तर

(ii) उपभोक्ता की समस्या को शीघ्र व सरल तरीके से निपटारा करना।
(iii) उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति को प्राप्त कराना।
(iv) उपभोक्ता शिक्षा देना तथा जागरूक करना।

अधिनियम के क्षेत्र :—

(i) सभी प्रकार की सरकारी, गैर सरकारी संस्था पर लागू।
(ii) सरकारी मापदंडों के अनुरूप क्षेत्रों पर लागू।
(iii) उपभोग करने पर हुई हानि जहाँ वह खरीद कर लाया उस पर।
(iv) यह व्यावसायिक गतिविधि करने वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता।

अधिनियम की विशेषताएँ :—

(i) इसमें त्रिस्तरीय तंत्र की व्यवस्था है।
(ii) इसमें उपभोक्ता की समस्या का शीघ्र सरल तरीके से निपटारा किया जाता है।
(iii) इसमें शिकायत करना निशुल्क होता है।
(iv) आय या पैसे की हानि के अनुरूप अलग-अलग स्थान पर किया जा सकता है।

25) आई. सी. डी. एस. योजना :— यह भारत सरकार द्वारा बच्चों के उचित पोषण

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

के लिए तथा निम्न आय वर्ग को सहायता प्राप्त करने के लिए चलाई गई है इसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

उद्देश्य :-

(i) छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उचित पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।

(ii) मृत्यु दर, रुग्णता व कुपोषण की समस्याओं में कमी लाना।

(iii) पूर्व में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।

(iv) बच्चों के उचित पोषण व विकास की नींव रखना।

(v) माताओं की क्षमता बढ़ाना जिससे वे बालक का सही पोषण कर पाये।

सेवायें :-

(i) शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

(ii) स्वास्थ्य जाँच

(iii) पूरक आहार

(iv) टीकाकरण

(v) जागरूकता